संख्या – 4297/आठ–1–08–01विविध/2000

प्रेषक,

श्री शंकर अग्रवाल

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**
   उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**
   समस्त विकास प्राधिकरण
   उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 17 मार्च, 2008

विषय : वन टाइम सेटलमेंट योजना (ओ.टी.एस.)–2002 के सम्बन्ध में।

महोदय,

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन विकास प्राधिकरण तथा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के डिफाल्टर आवंटियों, क्रेताओं एवं ऋण गृहीताओं के प्रकरणों के समाधान हेतु शासनादेश संख्या : 3201/9–आ–1–02–01विविध/2000, दिनांक 12.08.02 द्वारा ओ.टी.एस. योजना लागू की गयी थी।

2. उक्त योजनाओं को शासनादेश संख्या–4715/9–आ–1–3–1 विविध/2000 दिनांक, 05 अगस्त, 2003 के माध्यम से शासनादेश दिनांक 12–8–2002 एवं दिनांक 30–10–2002 में निहित शर्तों के अधीन दिनांक 01–7–03 से अग्रिम आदेशों तक चालू रखने के निर्देश दिये गये थे।

3. इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रश्नगत योजना को केवल अब दुर्बल आय वर्ग (ई.डब्लू.एस.) एवं निम्न आय वर्ग (एल.आई.जी.) आवंटियों पर दिनांक 30.06.08 तक लागू रखा जाय।

भवदीय,

शंकर अग्रवाल
प्रमुख सचिव

संख्या 4297(1)/आठ–1–08, तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अध्यक्ष, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद/समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

3. महानिरीक्षक, निबन्धन को सभी प्राधिकरणों में आवश्यकतानुसार सब रजिस्ट्रार की उपलब्धता इस अवधि में उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश निर्गत करने हेतु।
4. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निजी सचिव, मा. मंत्री, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन, उत्तर प्रदेश।
8. अपर निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश अपने सिस्टम पर डाउनलोड करते हुए इसे समस्त संबंधितों को प्रेषित करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राम निरंजन
अनु सचिव।